संख्या 652 /VI-3/2023–34(06)/2022

प्रेषक,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग — देहरादून : दिनांकः 11 अगस्त, 2023

विषयः मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम/योजना के संबंध में दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–831/खे0नी0शा0पत्रा0–02/2022–23, दिनांक 03 अगस्त, 2023 एवं ''खेल नीति–2021'' की अधिसूचना संख्या–938, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेलों में प्रतिस्पर्धा बढाने, जनमानस का खेलों के प्रति रूझान बढाने, खेल संस्कृति की अभिवृद्धि करने, खिलाडियों की प्रतिभागिता में वृद्धि करने, प्रदेश में अनुकूल खेल वातावरण सृजन करने, प्रदेश की खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम/योजना लागू किये जाने एवं दिशा–निर्देश संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या–445/VI-3/2022–34(06)/2022, दिनांक 10 अगस्त, 2022 के कतिपय बिन्दुओं पर संशोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 10 अगस्त, 2022 को अतिक्रमित करते हुए ''मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम/योजना'' के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश बनाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्राविधानानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी खेल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने तथा उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग किये जाने तथा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाये जाने हेतु राज्य खेल नीति, 2021 में इसी उद्देश्य के दृष्टिगत 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेलकिट, ट्रैकसूट एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर (उपकरण) आदि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके क्रम में प्रतिवर्ष यह सुविधा आवश्यक खेल विशिष्ट मोटर क्षमता परीक्षण एवं खेल/स्पर्धा विशिष्ट कौशल परीक्षण की मैरिट के आधार पर प्रत्येक जनपद के 14 से 23 वर्ष आयु (14 से 17 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 17 से 19 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 19 से 21 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 21 से 23 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी) के 100 प्रतिभावान बालक एवं 100 बालिकाओं को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रति खिलाड़ी रू0 2000/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति एवं खेल उपस्कर (उपकरण) हेतु प्रतिवर्ष धनराशि रू0 10 हजार मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के कुल 2600 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग कर चयनित होकर वरीयता सूची में आना अनिवार्य होगा। चयनित लाभार्थी खिलाड़ियों को मात्र 01 वर्ष के लिए ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

2– खेल छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऐसे बालक एवं बालिकाएं पात्र होंगे, जिनकी आयु 14 से 23 वर्ष के मध्य होगी एवं उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी होंगे। आयु की गणना संबंधित वर्ष की 01 जुलाई से की जाएगी।

Generated from eOffice by RAJEEV NEGI, RO-SPORTS SECTION-RN, REVIEW OFFICER, Sport Department on 11/08/2023 12:09 PM

Scanned with OKEN Scanner

3– उक्तानुसार प्रोत्साहन कार्यक्रम/ योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा योजना/कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार कर यथासंभव माह मार्च के अंतिम सप्ताह अथवा माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किया जायेगा तथा माह अप्रैल तक अनिवार्य रूप से चयन ट्रायल्स आयोजित कर खिलाड़ियों का चयन कर लिया जायेगा, जिन्हें अगले पूरे 01 वर्ष (माह मई से अप्रैल तक) की छात्रवृत्ति प्रतिमाह प्रदान की जायेगी तथा छात्रवृत्ति के प्रारम्भ में ही खेल उपस्कर (उपकरण) क्रय हेतु भी एकमुश्त धनराशि दे दी जायेगी।

4– खेल छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक जिले से आयुवर्ग 14 से 17 वर्ष, 17 से 19 वर्ष, 19 से 21, 21 से 23 की प्रत्येक श्रेणी के 25–25 बालक एवं बालिकाएं अर्थात् प्रत्येक जनपद में कुल 100 बालक एवं 100 बालिकाएं अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य के 1300 बालक, 1300 बालिकाएं कुल 2600 खिलाड़ियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। योजना हेतु स्कूली अभिलेखों में दर्ज आयु मान्य होगी।

5– खेल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के इच्छुक समस्त बालक बालिकाओं को शारीरिक दक्षता (Physical development and Games specific test, बैटरी टैस्ट) और खेल योग्यता (Game/Event Specific skill test) परीक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न चरणों से गुजरना होगा। चयन हेतु आयोजित जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राएं ही खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगें।

6– ऐसे बालक एवं बालिकाएं, जो विभागीय/राज्य सरकार अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन खेल छात्रावास अथवा स्पोर्ट्स कॉलेज में चयनित होकर सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वो सभी इस खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए **अपात्र** होगें अर्थात् उनके लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम/योजना में खेल छात्रवृत्ति हेतु प्रतिभाग करना प्रतिबन्धित होगा।

7– उक्त योजना हेतु आवेदक खिलाड़ी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होगा तथा उस जनपद जहां के लिए वह आवेदन कर रहा है वहां यदि वह शिक्षारत है अथवा उस जिले के निवास संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा तभी वह उस ज़िले से आवेदन करने का पात्र होगा।

8– **<u>आयुवर्ग एवं मानक अंक प्रणाली</u>** –

(1) आयु वर्ग 14 से 23 वर्ष के आवेदकों के शारीरिक दक्षता (Strength, Flexibility, Endurance Speed, Coordination etc) आदि के परीक्षण हेतु Physical development, Games specific test के अन्तर्गत 06 प्रतियोगिताएं परीक्षण हेतु आयोजित होगी, जिनके आंकलन हेतु अंकों का विवरण **परिशिष्ट 'क'** में अंकित है।

(2) विभिन्न परीक्षणों हेतु अधिकतम अंक निम्न तालिका के अनुसार होंगे–

खेल विशिष्ट मोटर क्षमता परीक्षण	खेल/ स्पर्धा विशिष्ट कौशल परीक्षण	कुल अंक
15 अंक	15 अंक	30 अंक

9– **<u>पर्यवेक्षण समिति–</u>**

(1) चयन के लिए जिला स्तर पर एक पर्यवेक्षण समिति के दिशा–निर्देशों पर सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया संपादित की जायेगी। किसी भी प्रकार के कोई भी विवाद की स्थिति में इस पर्यवेक्षण समिति (Supervisory Committee) का निर्णय अंतिम होगा। समिति निम्न प्रकार होगा :–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी – सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य
5. जिला युवा कल्याण अधिकारी – सदस्य
6. जिला क्रीड़ाधिकारी – सदस्य सचिव

Generated from eOffice by RAJEEV NEGI, RO-SPORTS SECTION-RN, REVIEW OFFICER, Sport Department on 11/08/2023 12:09 PM

Scanned with OKEN Scanner

10— चयन समितियां –

(1) विज्ञापन प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् पर्यवेक्षण समिति द्वारा निम्नानुसार चयन समितियों का गठन किया जायेगा, जो उपरोक्त संदर्भित प्रतियोगितात्मक परीक्षण विभिन्न चरणों में सम्पन्न करायेंगे, प्रत्येक चयन समिति में न्यूनतम 02 सदस्य संबंधित खेल एवं शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण योग्यता धारक होंगे। विभिन्न समितियां निम्न प्रकार होंगी :–

जिला स्तरीय चयन समिति :	अपर जिलाधिकारी अथवा समकक्ष प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में
विकास खण्ड स्तरीय चयन समितियां :	जिला स्तरीय अधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में
नगर निगम / नगर पालिका स्तरीय चयन समिति :	जिला स्तरीय अधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे

11— चयन प्रक्रिया की तिथि एवं स्थान –

(1) जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रथम व द्वितीय चरण के लिए तिथियां एवं स्थान का निर्धारण किया जायेगा।

12— चयन समितियों का प्रशिक्षण –

(1) विभिन्न स्तरों की चयन टीमों का गठन हो जाने के तुरन्त पश्चात जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षकों / परीक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

13— चयन प्रक्रिया –

(1) चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की देखरेख में होगी।

(2) चयन प्रक्रिया का आयोजन दो चरणों में किया जायेगा।

प्रथम चरण (Qualifying)—विकासखण्ड / नगर निगम / नगर पालिका स्तर पर प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने पर 02 भागों में चयन प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।_

द्वितीय चरण— प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पार करने वाले चयनित छात्र / छात्राएं द्वितीय चरण अर्थात् जनपद स्तर के लिए आयोजित चयन ट्रायल्स में सम्मिलित होंगे।

प्रथम चरण –

(1) प्रथम चरण में सभी जनपदों में उनके विकास खण्ड, नगर निगम एवं नगर पालिकाओं से प्रत्येक आयुवर्ग में निम्न प्रकार चयनित बालक एवं बालिकाएं प्रतिभाग करेंगे :–

प्रत्येक विकास खण्ड से	04 (02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रतिखेल)
प्रत्येक नगर निगम से	04 (02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रतिखेल)
प्रत्येक नगर पालिका परिषद से	02 (01 बालक एवं 01 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रतिखेल)

चम्पावत, रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर हेतु यह संख्या प्रति विकासखण्ड 10 (05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रतिखेल) एवं नगर पालिका हेतु 05 (03 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रतिखेल) होगी।
(नगर पंचायत के अभ्यर्थी निकटस्त विकास खण्ड में प्रतिभाग करेंगे)

(2) प्रथम चरण में मात्र मोटर क्षमता परीक्षण (निर्धारित 06 टेस्ट) लिए जायेगें। परन्तु यदि अभ्यर्थियों की संख्या नियत संख्या के 10 गुना से अधिक हो तो मात्र 03 टेस्ट (10x06 मी0 शटल दौड़, 800 मी0 दौड़ एवं वर्टिकल जम्प) ही आयोजित किए जायेगें, जिनमें मानकानुसार Qualify करने वाले अभ्यर्थियों का 06 टेस्ट से संबंधित परीक्षण किए जायेगें, जिसके आधार पर श्रेष्ठ अभ्यर्थियों का निर्धारित संख्या में चयन जिला स्तरीय परीक्षण हेतु किया जाएगा अर्थात् प्रथम चरण **(विकासखण्ड आदि स्तर)** में 02 भागों में संबंधित परीक्षण आयोजित होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

<u>द्वितीय चरण (जिला स्तर)</u> :—

(1) द्वितीय चरण में विकास खण्ड / नगर निगम / नगर पालिकाओं से उपरोक्त **<u>प्रथम चरण</u>** के बिंदु—01 के अनुसार नियत संख्या में चयनित अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे।

इस हेतु स्थान एवं समय का निर्धारण **<u>चयन प्रक्रिया की तिथि एवं स्थान</u>** के बिंदु—01 के अनुसार पूर्व निर्धारित होगा।

(2) इस चरण में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का **आयुवर्ग एवं मानक अंक प्रणाली** में उल्लिखित अंक व्यवस्थानुसार मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

यहां उल्लेखनीय है कि मोटर क्षमता (Motor Ability) के अंकों का निर्धारण संबंधित खेल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा अर्थात् मोटर क्षमता (Motor Ability) में समान प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों के खेलों के अनुसार अलग—अलग अंक दिए जा सकेंगे।

(3) यदि चयन सूची के अंतिम स्थान रहने वाले एक से अधिक अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो जिसके खेल प्रतिस्पर्द्धा कौशल में अधिक अंक होंगे उसका चयन किया जाएगा। यदि इस श्रेणी में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो उनका खेल कौशल का पुनः परीक्षण किया जाएगा, पुनः परीक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब तक कि एक श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी नहीं मिल जाता है।

14— <u>छात्रवृत्ति का वितरण एवं रिकॉर्ड का संरक्षण तथा विविध</u> :—

(1) जिला स्तर की चयन समिति द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले 25 छात्र एवं 25 छात्राओं की अन्तिम सूची जारी की जायेगी, जो खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। छात्रवृत्ति वितरण का कार्य जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

(2) जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया की वीडियोग्रॉफी भी कराई जायेगी। इसी प्रकार प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित होने वाले बालक बालिकाओं का रिकॉर्ड समिति द्वारा रखा जायेगा, जो अंत में जिला क्रीड़ाधिकारी कार्यालय में संरक्षित रहेगा।

(3) किसी भी आपत्ति हेतु आवेदक को इवेन्ट खत्म होने के 01 घण्टे के अन्तर्गत सम्बन्धित स्तर की चयन समिति के समक्ष वैध कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसका संबंधित स्तर की समिति द्वारा सकारण लिखित आदेश निर्गत करते हुये 02 घण्टे के अन्तर्गत आपत्ति को निरस्तारित करना आवश्यक होगा।

(4) इस खेल छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित / छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र एवं छात्रा खिलाड़ियों को **खेल विभाग** के अन्तर्गत विभागीय अवस्थापना सुविधाओं, स्टेडियमों आदि में निःशुल्क प्रवेश / प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त होगी, जिसके लिए उन्हें संबंधित जिले के जिला खेल अधिकारी द्वारा एक परिचय पत्र जारी किया जायेगा, जिससे लाभान्वित खिलाड़ी की पहचान हो सके और उस परिचय पत्र के माध्यम से वह खेल प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त कर सके।

15— <u>चयनित खेल</u> —

(1) योजना के प्रारम्भ होने पर प्राथमिकता के आधार पर निम्न खेलों में ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी—

(1)एथलेटिक्स	(2)बॉक्सिंग	(3)जूडो	(4)कराटे	(5)बैडमिंटन
(6) ताईक्वांडो	(7)वॉलीबॉल	(8)फुटबॉल	(9)बास्केटबॉल	(10) हॉकी
(11)टेबलटेनिस	(12) कबड्डी			

Generated from eOffice by RAJEEV NEGI, RO-SPORTS SECTION-RN, REVIEW OFFICER, Sport Department on 11/08/2023 12:09 PM

Scanned with OKEN Scanner

(2) उक्त खेल प्राथमिकता के आधार पर **वरीयता क्रम में** चयनित हैं, जिसे भविष्य में स्थिति के अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

(3) उक्तानुसार खेलों में **जनपद स्तर** पर खेलवार निम्न तालिका के अनुसार बालक/बालिका चयनित किये जायेंगे :–

क्र.सं.	खेल विधा का नाम	वर्ग	आयुवर्ग 14 से 17	आयुवर्ग 17 से 19	आयुवर्ग 19 से 21	आयुवर्ग 21 से 23	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एथलेटिक्स	बालक	03 खिलाड़ी	03 खिलाड़ी	03 खिलाड़ी	03 खिलाड़ी	12 खिलाड़ी
		बालिका	03 खिलाड़ी	03 खिलाड़ी	03 खिलाड़ी	03 खिलाड़ी	12 खिलाड़ी
2.	बॉक्सिंग	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
3.	जूडो	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
4.	कराटे	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
5.	बैडमिंटन	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
6.	ताईक्वांडो	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
7.	वॉलीबॉल	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
8.	फुटबॉल	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
9.	बास्केटबॉल	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
10.	हॉकी	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
11.	टेबल टेनिस	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
12.	कबड्डी	बालक	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
		बालिका	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	02 खिलाड़ी	08 खिलाड़ी
	योग –	**बालक**	**25 खिलाड़ी**	**25 खिलाड़ी**	**25 खिलाड़ी**	**25 खिलाड़ी**	**100 खिलाड़ी**
		बालिका	**25 खिलाड़ी**	**25 खिलाड़ी**	**25 खिलाड़ी**	**25 खिलाड़ी**	**100 खिलाड़ी**
	महायोग – (बालक+ बालिका)		**50खिलाड़ी**	**50खिलाड़ी**	**50खिलाड़ी**	**50खिलाड़ी**	**200खिलाड़ी**

Generated from eOffice by RAJEEV NEGI, RO-SPORTS SECTION-RN, REVIEW OFFICER, Sport Department on 11/08/2023 12:09 PM

Scanned with OKEN Scanner

16– जनपद स्तर पर चयनित होने के लिये निम्नानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है :–

1. खेल विशिष्ट मोटर क्षमता परीक्षण में	–	न्यूनतम 05 अंक
2. खेल / स्पर्धा विशिष्ट कौशल परीक्षण में	–	न्यूनतम 05 अंक
कुल अंक	–	**न्यूनतम 10 अंक**

17– यदि किसी चयनित खेल में निर्धारित की गयी संख्या से कम प्रतिभागी चयनित होते हैं, तो उनके स्थान पर चयनित खेल सूची के वरीयता क्रम में संबंधित खेल के चयनित प्रतिभागी का चयन किया जायेगा, जो वरीयतानुसार खेलवार अगले खेल हेतु भी चलता रहेगा।

18– **<u>चयनित छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण (Orientation)</u>**

(1) चयन प्रक्रिया सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा चयनित बालक–बालिकाओं का 01 दिवसीय गहन अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें उन्हें विभिन्न खेल गतिविधियों, पौष्टिक आहार, अनुशासन, प्रोत्साहित करने वाले अनेक प्रकरणों से परिचित कराया जायेगा एवं योजना के उद्देश्य की जानकारी भी दी जायेगी। इन बालक–बालिकाओं के अभिभावकों के बारे में जानकारी लेते हुए उनका एक समूह बनाकर जिला क्रीड़ाधिकारी, विभिन्न खेल एवं शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को मिलाकर परस्पर सक्रीय एवं सकारात्मक वातावरण स्थापित करेंगे। इस अवधि में बालक बालिकाओं का P-SAT Score भी नोट किया जायेगा ताकि आगामी दिनों में इसमें होने वाली प्रगति को ट्रैक किया जा सके। 01 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला 05–06 माह के बाद पुनः आयोजित की जायेगी।

(2) स्कूल, विश्वविद्यालय स्तर पर भी संबंधित प्रधानाचार्य / प्राचार्य एवं व्यायाम अध्यापक / खेल प्रशिक्षकों से भी चयनित बालक बालिकाओं की प्रगति को लगातार मॉनिटरिंग करने का अनुरोध किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Abhinav Kumar
Date: 10-08-2023 12:50:37
(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या–652 / VI-3 / 2023–34(06)2022, तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊं मण्डल / गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समस्त जिला कीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jitendra Kumar Sonkar
Date: 11-08-2023 11:22:46
(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner